

# Order Sheet [Contd]

Case No 210/2017 बी.ए

Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of presiding	Signature of Parties or Pleaders where necessary
02-06-17	<p>आवेदकगण/आरोपीगण छोदा, अंगद, रणवीर, चंदू ओर से श्री आर. सी. यादव अधिवक्ता।</p> <p>राज्य की ओर से श्री दीवानसिंह गुर्जर अपर लोक अभियोजक।</p> <p>आरक्षी केन्द्र मौ जिला भिण्ड से अप0क्र0 107/17 धारा 323, 294, 506, 34 भा.द.वि की केश डायरी प्रतिवेदन सहित प्रस्तुत।</p> <p>पुलिस थाना मौ की ओर से थाना प्रभारी द्वारा केश डायरी के साथ प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। प्रतिवेदन में आवेदकदगण/अभियुक्तगण के विरुद्ध भा.द.वि की धारा 323, 294, 506, 34 भा.द.वि का अपराध कायम होना दर्शाया है। उक्त सभी अपराध जमानती प्रकृति के हैं। अपराध जमानती एवं जमानती अपराध में दं.प्र. सं. की धारा 438 का आवेदन प्रचलनशील न होने से आवेदकगण/अभियुक्तगण के अधिवक्ता श्री आर.सी. यादव ने जमानत आवेदनपत्र पर बल न देना व्यक्त किया। अतः आवेदनपत्र बल न देने के कारण निरस्त किया जाता है।</p> <p>आदेश की प्रति के साथ केश डायरी संबंधित थाने को वापस की जावे।</p> <p>प्रकरण का परिणाम दर्ज कर रिकार्ड अभिलेखागार भेजा जावे।</p> <p style="text-align: right;">(वीरेन्द्र सिंह राजपूत) अपर सत्र न्यायाधीश गोहद जिला— भिण्ड म0प्र0</p>	